मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्र. सी. 6-01/2005/एक-3 भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2005

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—अनुशासनिक मामलों में शासकीय सेवकों का अनावश्यक निलम्बन नहीं करना तथा लघुशास्ति अधिरोपित होने की स्थिति में निलम्बन अवधि को कर्तव्य अवधि मान्य किया जाना.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 में शासकीय सेवकों के निलम्बन के विषय में प्रावधान है तथा वे स्थितियां वर्णित हैं जिनमें शासकीय सेवकों को निलम्बित किया जा सकेगा.

2. सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-एक, क्रमांक 13 में उल्लिखित है कि किसी ऐसे शासकीय सेवक को जिसके विरुद्ध विभागीय जांच की जाना हो, सामान्यत: निलम्बित नहीं किया जाना चाहिए. जब आरोप गंभीर स्वरूप के हों या जब प्रशासनिक दृष्टि से या अन्य सुनिश्चित कारणों से ऐसा करना आवश्यक/अपरिहार्य हो, तभी उसे निलम्बित किया जाना चाहिए. यदि जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो उसे निलम्बन के बदले अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए.

3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 12-38-91-3-1, दिनांक 7-6-91 में निर्देश दिए गए हैं कि जहां नियम, 9(1) (क) के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान निलम्बित किया जाता है, तो निलम्बन आदेश में स्पष्ट एवं सुनिश्चित कारण दर्शाए जाना चाहिए. अनावश्यक रूप से शासकीय सेवक को निलम्बित किए जाने की परम्परा को निरुत्साहित किए जाने के उद्देश्य से मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा पर सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-6-4/97/3/एक, दिनांक 19-3-1997 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि छोटी-मोटी त्रुटियों के लिये निलम्बन की कार्रवाई नहीं की जाए.

4. शासन के ध्यान में बार-बार यह तथ्य लाया गया है कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्राय: बिना समुचित आधार के शासकीय सेवकों को निलम्बित किए जाने की कार्रवाई की जाती है. जांच में संबंधित शासकीय सेवक या तो निर्दोष पाया जाता है अथवा उसे साधारण चेतावनी या कोई लघुशास्ति अधिरोपित की जाती है. इस प्रकार की कार्रवाई से शासकीय सेवक तो प्रताड़ित होता ही है, बिना कार्य किए निलम्बन अवधि के लिये पूर्ण वेतन-भत्ते दोषमुक्त शासकीय सेवक को देना पड़ते हैं.

5. विचारोपरांत शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध जांच में आरोपों के स्वरूप को देखते हुए प्रथमदृष्टया यह प्रतीत हो कि संबंधित शासकीय सेवक पर पदच्युति, सेवा से हटाया जाना अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसी कोई मुख्य शास्ति अधिरोपित की जा सकती है, तभी उसे निलंबित किया जाय. अर्थात् लघुशास्ति के मामलों में उसे निलंबित नहीं किया जाना चाहिए.

6. मुख्य शास्ति हेतु संस्थित विभागीय जांच में यदि किसी निलंबित शासकीय सेवक पर जांच उपरांत लघु शास्ति ही अधिरोपित की जाती है तो उसका निलम्बन औचित्यपूर्ण नहीं माना जा सकता. अत: राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों में संबंधित शासकीय सेवक की निलम्बन अवधि को मूलभूत नियम 54-बी के परिप्रेक्ष्य में कर्तव्य अवधि मान्य कर निलम्बन अवधि के सम्पूर्ण वेतन-भत्ते (शासकीय सेवक को निलम्बन अवधि में भुगतान किए गए "जीवन निर्वाह भत्ते" की राशि का समायोजन कर) दिए जाएं. यह निर्णय इस ज्ञापन के प्रसारित होने की तिथि से लागू होगा तथा जिन प्रकरणों में निर्णय लिया जा चुका है वे पुन: नहीं खोले जाएंगे.

7. उपर्युक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(एन. एस. भटनागर)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्र.-सी-6-01-2005-एक/3 भोपाल, दिनांक 13 जनवरी, 2005

प्रतिलिपि :

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इंदौर.
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
7. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
8. मंत्री/राज्यमंत्री गण के विशेष सहायक/निज सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल.
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल.
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल.
12. महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर.
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल.
14. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/अतिरिक्त सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
15. उप सचिव, अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
17. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
18. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल.

हस्ता./-
(सी. एस. तिवारी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
''मंत्रालय''

क्रमांक सी-6/1/2002/3/एक

भोपाल, दिनांक 6-11-2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त/समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
समस्त विकास खण्ड अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, मध्यप्रदेश.

विषय.— आपराधिक/भ्रष्टाचार प्रकरणों में निलंबित शासकीय सेवकों की निलंबन से बहाली.

सन्दर्भ:— सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र सी-6-10/99/3/एक, दि. 30-9-99

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के उप नियम (1) के प्रथम परन्तुक में भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अंतर्वलित दाण्डिक अपराध में शासकीय सेवक के विरुद्ध चालान प्रस्तुत होने पर उसे अनिवार्यत: निलम्बित किये जाने का प्रावधान है.

2. उपरोक्त नियमों के नियम-9 के उप नियम (5) के खण्ड (घ) के परन्तुक में प्रावधान है कि नियम 9(1) के प्रथम परन्तुक के अधीन किया गया निलम्बन आदेश तब तक प्रतिसंहृत नहीं किया जायेगा जब तक उसके बारे में सरकार द्वारा कारण स्पष्ट करते हुए आदेश पारित नहीं कर दिया जाये.

3. सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दि. 3-9-99 द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में निलम्बन की अनिवार्यता, तथा ठोस एवं समुचित कारणों के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा बहाली के औचित्य के संबंध में निर्देश स्पष्ट किये गये हैं.

4. प्राय: देखा गया है कि न्यायालय में इस प्रकार के प्रकरणों में निर्णय होने में काफी समय लगता है. ऐसी स्थिति में शासकीय सेवक लम्बे समय तक निलंबित ही बना रहता है. यह स्थिति न तो शासन के हित में है और न ही संबंधित शासकीय सेवक के हित में है. दीर्घ अवधि तक प्रकरण न्यायालय में लंबित रहने के बाद यदि न्यायालय द्वारा संबंधित शासकीय सेवक को दोषमुक्त किया जाता है, तो उसे निलंबन अवधि का सम्पूर्ण भुगतान करना पड़ता है.

5. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में शासन ने अब निर्णय लिया है कि म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उप नियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन किया गया निलंबन आदेश, निलंबित शासकीय सेवक के प्रशासकीय विभाग द्वारा उस दशा में प्रतिसंहृत किया जावेगा, जब संबंधित प्रकरण में न्यायालय का विनिश्चय, न्यायालय द्वारा आरोप निर्धारित किये जाने की तिथि से 3 वर्ष की कालावधि के समाप्ति तक नहीं किया जाता है. परन्तु इसमें विलम्ब की वह अवधि सम्मिलित नहीं की जावेगी जिस विलम्ब के लिए शासकीय सेवक स्वयं उत्तरदायी हो. नियम-9 के उप नियम (5) के खण्ड (घ) के परन्तुक में की गयी अपेक्षा के अनुसार निलम्बन आदेश प्रतिसंहृत करने का स्पष्ट कारण भी आदेश में दर्शाया जावेगा. निलंबन अवधि का निराकरण, संबंधित प्रकरण में न्यायालय के अंतिम आदेश पारित होने के बाद ही किया जावेगा.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्र.-सी-6-1-2002-3-एक भोपाल, दिनांक, 6-11-2002

प्रतिलिपि :

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त, म. प्र. भोपाल.
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इंदौर.
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म. प्र. भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.
6. सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
7. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
8. उप मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्रीगण के निज सचिव, निज सहायक, म. प्र. भोपाल.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म. प्र. भोपाल.
12. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर.
13. महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, म. प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर.
14. महालेखाकार, म. प्र. ग्वालियर.
15. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.
16. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अभिलेख/अधीक्षण मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय, भोपाल.
17. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
18. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म. प्र. भोपाल.
19. अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग.